

4338

3993

86332  
17-08-2021

48  
15/8



# Government of Jharkhand

## Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : 81864383cd97561002f0

Receipt Date : 16-Aug-2021 11:10:12 pm

Receipt Amount : 2000/-

Amount In Words : Two Thousand Rupees Only

Token Number : 20210000086332

Office Name : SRO - Govindpur

Document Type : Sale Deed

Payee Name : RINA DEVI ( Vendee )

GRN Number : 2107025184



For Office Use :-

न. न. 21 के अधीन और अधिनियम 1899 की धारा 62 के अधीन जारी एक्ट की धारा 47A के अधीन जारी है और इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 के अनुसूचा 1 या 1 के अंतर्गत क. अ. 12 के अधीन यथावत स्टाम्प लगाया गया है। अथवा टिकर नथरी से विमुक्त है या स्टाम्प - शुल्क अपेक्षित नहीं है।

नाम 13-B-81 निवेदन पदाधिकारी 13-B-81

Rabish Kumar Singh दस्तावेज जाँच किया 16/08/21

Abhimanyu Singh फार्म 4 जाँच किया

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दूसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

रीना देवी

मूल्य - 5 ले व मरिन्दपु मालिक सारणी 2019/20


तपशील वर्णित जमीन का मूल्य मार्ग दर्शिका पंजी  
के अनुसार न्यूनतम मूल्य से कम नहीं है !

Payment is done of Rs. 1.25 Lakhs  
By GRN No. 2107038185 Dt. 18/8/19

Price Paid  
An 15000/-  
SA. 3000/-  
1000/-  
15000/-  
B  
18/8/19

Neha Kumar Singh

Abhimanyu Singh  
(2108/19)



..1..

### बिक्रय पत्र केवाला दस्तावेज

**बिक्रेता :-** श्री केतन कुमार, पिता-स्व0 हरि महतो, जाति-तेली, पेशा-व्यवसाय, साकिन-कुर्मीडीह, थाना-बरवाअड्डा, जिला-धनबाद, भारतीय। के तरफ से आमुख्तारगण 1. श्री राकेश कुमार सिंह, पिता- श्री सुरेन्द्र सिंह, जाति-राजपुत, पेशा-व्यवसाय, साकिन-जयप्रकाश नगर गली न0 06, थाना एवं जिला-धनबाद, भारतीय, । आधार न0-2397 9230 8172. 2. श्री अभिमन्यु कुमार सिंह, पिता-कपिल देव सिंह, जाति-राजपुत, पेशा-व्यवसाय, साकिन-धैया, भेलाटॉड, जी. आई.सी. कॉलोनी के पास, थाना-बरवाअड्डा, जिला-धनबाद, भारतीय, । आधार न0-9664 8940 5581. आमुख्तार संख्या-(IV) 211, दिनांक-06.08.2019 ई0 को गोविन्दपुर निबंधन कार्यालय से निबंधित, के द्वारा विक्रय अधिकार प्राप्त। लेख्यकारी अभी तक जिवित हैं एवं आमुख्तारनामा रद्द नहीं किया गया है !

**क्रेता :-** श्रीमती रीना देवी, पति- श्री अमोद कुमार सिन्हा, जाति-कायस्थ, पेशा- गृहणी, साकिन-चौथाई कुल्ही तिवारी मंदिर के पास, पो0 एवं थाना-झरिया, जिला-धनबाद। झारखण्ड। आधार न0- 6339 9716 3418.

मूल्य- 50,000/- (पच्चास हजार रुपये) मात्र।

सालाना मालगुजारी 01 रुपया मात्र।

अंचल कार्यालय गोविन्दपुर मालिक जमीन्दार झारखण्ड सरकार।


रीना देवी

17/08/2021

10/08/20

के कार्यालय गोविन्दपुर में लेखपाल अवर गोविन्दपुर  
 प्रस्तावित मुख्य नाम संख्या 20  
 लेखपालियों का दावेदारों में से एक श्री राकेव कुमार सिंह  
 पिता/पति का नाम सुबोध सिंह जिला  
 पंचायत संख्या 1/5/8/20/21  
 पंचायत क्षेत्र नं. निबंधक के लिए भेरा किया


लेखपाल का दस्तावेज उपस्थानक का दस्तावेज  
 17/08/2021



Radish Kumar Singh  
 17/08/21



12/08  
Affirmation  
12/08



12/08/2016  
12/08/2016

### बिक्रय पत्र केवाला दस्तावेज

जमीन का विवरण- जिला धनबाद, सदर निबंधन कार्यालय, धनबाद, अवर निबंधन कार्यालय सह थाना- गोविन्दपुर, हाल थाना- बरवाजडडा अंतर्गत "काशीटॉड" मौजा में कायेमी रैयती स्वत्व की जमीन। मौजा- "काशीटॉड" मौजा नं०-93, पुराना खाता नं०-34, नया खाता नं०-78, पुराना प्लॉट नं०-711, नया प्लॉट नं०-772, रकबा-6.41 डिसमील में से 0.37 डिसमील जमीन इस केवाला दस्तावेज द्वारा बिकी किया। जो अन्य सडक पर आवासीय है।  
जिसकी चौहददी :-

- उत्तर - नया प्लॉट नं० 772,
- दक्षिण - 18 फिट चौड़ा प्रस्तावित रास्ता,
- पूरब - केता नीज,
- पश्चिम - बिमला देवी.

बिक्रित जमीन का एक प्रति नक्शा इस दस्तावेज के साथ संलग्न है। जिसमें बिक्रित जमीन को लाल रंग से रंगकर दर्शाया गया है।

उपरोक्त जमीन गोविन्दपुर निबंधन कार्यालय से निबंधित दिनांक 06.07.2013 ई० के केवाला दस्तावेज संख्या 2419 के द्वारा श्री योगेन्द्र सिंह एवं अन्य से विकेता के नीज नाम पर खरीदी हुई सम्पत्ती है। जमाबंदी संख्या-822 में लगान वसूल होता है। दाखिल-खारिज मुकदमा संख्या-805(I V) 2016-17 है। अंचल कार्यालय गोविन्दपुर के पंजी 11, के भाग सं०-1, पृष्ठ सं०-161 में विकेता के नीज नाम पर दर्ज है। निर्विवाद रूप से भोग-दखल करते हुए विकेता ने केता के हाथ आज इस केवाला दस्तावेज द्वारा बिकी किया।

उक्त जमिन नगर निगम/नगर पालिका/एवं अनुसुचित क्षेत्र से बाहर है। चूंकि विवरण यह है कि विकेता को सांसारिक एवं अन्याय खर्च के लिए रूपये की अति आवश्यकता आ पड़ी है। इसलिए विवरण में दिये गये जायदाद बिक्री किये बिना रूपये का बन्दोवस्त होना कठिन है। इसलिए विवरण में दिये गये जायदाद को बिक्री करने के लिए विकेता ने केता से प्रार्थना की एवं केता, विवरण में दिये गये जायदाद खरीदने को राजी हुए तथा दोनों पक्षों के बीच गवाहों के सामने सलाह-मशविरा से विवरण में दिये गये जायदाद का वास्तविक मूल्य- 50,000/- (पच्चास हजार रूपये) मात्र। तय हुआ एवं

Nobal Kumar Singh  
Abhimanyu Singh  
17/08/21

तयशुदा रकम लेकर विवरण में दिये गये जायदाद को विक्रेता बिक्री कर हमेशा के लिए निःस्वत्व हुए एवं क्रेता को दखलकार किया तथा दखल दिया।

विक्रेता का जिस तरह का हक-अख्तियार, दावी-दावा है, आज तारीख से क्रेता का हुआ। क्रेता, उक्त जमीन पर अपनी इच्छानुसार कच्चा-पक्का मकान, आंगन कुंआ, बगान-बगीचा आदि तैयार कर निज वसवास करें या किराया बन्दोवस्त कर अपनी इच्छानुसार दान, बिक्री, रेहन आदि मनमाना कर सकते हैं। इससे विक्रेता या विक्रेता के वंशज को कभी किसी तरह का वजूर या एतराज नहीं होगा, अगर करें तो कानूनन बातिल और नांमजूर होगा। उपरोक्त विवरण में दिये गये जायदाद का दाखिल-खरिज के संबंध में विक्रेता को जो कुछ भी क्रेता को मदद करना पड़े वह बिना वजूर करेंगे। बिक्रीत जायदाद की सालाना मालगुजारी मालिक जमीन्दार झारखंड सरकार को बराबर अदा देकर विक्रेता का नाम कटवाकर क्रेता अपने नाम से दाखिल-खरिज करवा कर मालगुजारी की रसीद हासिल करेंगे।


बिक्रीत जायदाद विक्रेता के खास दखल में है, कभी किसी तरह का हस्तान्तरण आदि नहीं किया गया है। अगर भविष्य में किसी तरह का विवाद या हस्तान्तर आदि पाया जाय और उससे क्रेता या क्रेता के वंशज को क्षति पहुंचे तो विक्रेता या विक्रेता के वंशज क्षतिपूरण का देनदार होगा या होंगे।

दस्तावेज में अंकित भूमि सरकार द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। यथा सरकारी गैर मजरूआ, सरकार द्वारा बन्दोबस्त अहस्तांतरणीय, भुदान से प्राप्त वन भूमि, आदिवासी खाता के अंतर्गत अथवा अधिग्रहिता श्रेणी में नहीं आता है। विक्रेता छोटानागपुर कास्त्रकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(6) में अंकित 51 जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग सं संबंधित नहीं है। साथ ही दस्तावेज में वर्णित विक्रय भूमि की कथा से विक्रेता एवं क्रेता दोनों संतुष्ट एवं सहमत हैं।

अतः विक्रेता अपनी स्थिर बुद्धि, शान्त चित्त, स्वस्थ शरीर में रहकर सरल मन से बिचार कर गवाहों के सामने मूल्य का पूरा रूपया पाकर एवं समझ-बूझकर यह बिक्रय पत्र केवाला दस्तावेज लिख दिया ताकि समय पर काम आवे। इति तारीख- 17/08/2021.

गिनी रेकी

Abhinav Singh  
Abhinav Singh  
17/08/21



क्रेता का छायाचित्र :



श्रीया देवी  
17/08/21

दस्तावेज का प्रारूप बनाया एवं दोनों पक्षों को पढ़कर सुनाया तथा विक्रेता के तरफ से आमुख्यार एवं क्रेता का फोटो इस दस्तावेज में चिपकाया गया है एवं उनलोगों के बांये हाथ के पांचों ऊंगलियों का निशान मेरे सामने लिया गया है।  
:- गवाहगण :-

शुक्र शम्भू  
E.No JH425/2018

1. सुनील कुमार पांडे  
मि.ल. 2500 गोरखपुर  
शा.प्र. 4 फुड्री गैलरी 4/10/21  
थाना, गोरखपुर जिला, उत्तर  
17/08/21

2. Rajesh Mishra  
5/0 Nand Kishore P.O.  
New Bishnupur

PS+Bist - Dhabu  
17/08/21 (Thakur)

राम कुमार  
17/08/21

श्रीया देवी

किशोरा :- श्री केशव कुमार पिता स्क. धीर मधुलो साठ कुमडिड भावा  
 करवाकडडा जिना चणकाद के लरफुसे कामकी स्वार मया  
 (1) श्री राकेश कुमार सिंह पिता श्री सुरेन्द्र सिंह सत जप प्रकाश  
 नगर गली नं 06 भावा स्को जिना चणकाद (2) श्री अशिममण्यु  
 कुमार सिंह पिता कपिल देव सिंह सत देवा मेला टंड  
 जीठ चणकाद सी. कांकोरी के पास भावा करवाकडडा जिना चणकाद


श्रेणी :- श्री बली रीवा देवी पार श्री अमोद कुमार सिन्हा सत  
 चौकई कुमडी तिवारी मंदिर के पास फेा भावा करिया  
 जिना चणकाद करवाकड

नया खालि :- मौजा काशी टंड नं. 93 भावा करवाकडडा नया खेला  
 नं. 78 पुराना खाला नं. 34 नया प्लेट नं. 772 पुराना  
 प्लेट नं. 711 रकबा 6.4 डे के मै से 0.375 के जमेकी किरी  
 किया जी नकेस के लाल रंग से अंकित है


- कौडी :- नया प्लेट नं. 773  
 दक्षिण :- 18 चौडा प्रस्तावित रास्ता  
 पुरख :- श्रेणी का मिज  
 पात्रेयका :- शिमरा देवी

10/8/21


New plan



Scale 1" = 330'  
 T.M. Copy



$2' + 14' + 2' = 18' = \text{चौडा प्र रास्ता}$



Rahul Kumar Singh  
 Ashimangya Singh  
 17/08/21

Traced by  
 S/h

श्री. बली